संख्या-24/2025/2652-57-2025-57-1099-61-2025

प्रेषक,

लक्ष्मण राम,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
धर्मार्थ कार्य निदेशालय,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

धर्मार्थ कार्य अनुभाग **लखनऊ : दिनांक 05 दिसम्बर, 2025**

विषय:- कैलाश मानसरोवर यात्रा करने वाले उ0प्र0 के मूल निवासी तीर्थ यात्रियों को राज्य सरकार की ओर से अनुदान दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0- 932/ध0का0नि0/2025-26 दिनांक-01.11.2025 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा-2025 पूर्ण करने वाले उ0प्र0 के मूल निवासी तीर्थ यात्रियों की संख्या-100 से अधिक होने के कारण आय-व्ययक 2025-26 में कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को अनुदान मद में प्राविधानित धनराशि रू0 1.00 करोड़ के अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता होने के दृष्टिगत आय-व्ययक 2025-26 में उपलब्ध मद प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में आयोजित होने वाले पौराणिक/धार्मिक मेलों के आयोजन में उपलब्ध धनराशि रू0 5.00 करोड़ का पुनर्विनियोग किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि शासनादेश सं0-11/2025/1035-57-1099/61/2025 दिनांक-13.06.2025 में कैलाश मानसरोवर तीर्थ यात्रा करने वाले उ0प्र0 के मूल निवासी तीर्थ यात्रियों को राज्य सरकार की ओर से धनराशि रू0 1.00 लाख का अनुदान दिये जाने का प्राविधान किया गया है।

3- चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के अनुदान संख्या-84 के लेखा-शीर्षक-2250-अन्य सामाजिक सेवाएं-101-धर्मार्थ प्रायोजनों के लिये दान-04-कैलाश मानसरोवर की यात्रा जाने वाले तीर्थ यात्रियों को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) में धनराशि रू0 1.00 करोड़ का प्राविधान है। उक्त धनराशि के उपयोग से प्रति व्यक्ति धनराशि रू0 1.00 लाख का अनुदान दिये जाने पर कुल 100 यात्रियों को ही अनुदान प्रदान किया जा सकता है जबकि अनुदान प्रदान किये जाने हेतु कुल 478 से अधिक यात्रियों के पंजीकरण प्राप्त हुये है। अत: उपरोक्त् अनुरोध के क्रम में वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान स्वीकृत किये जाने हेतु पुनर्विनियोग के माध्यम से वित्त विभाग की सहमति प्राप्त कर आय-व्ययक में धनराशि रू0 500.00 लाख की व्यवस्था कर ली गयी है।

4- उल्लेखनीय है कि शासनादेश सं0-21-2025-2270-57-1099-30-2023 दिनांक-25.09.2025 द्वारा कैलाश मानसरोवर यात्रा अनुदान हेतु प्राविधानित धनराशि 1.00 करोड़ रूपये निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के निवर्तन पर रखी जा चुकी है।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

5- उपर्युक्त के सम्बन्ध में यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया कैलाश मानसरोवर की यात्रा-2025 पूर्ण करने वाले उ0प्र0 के मूल निवासी यात्रियों को अनुदान दिये जाने हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक के लेखा-शीर्षक-2250-अन्य सामाजिक सेवाएं-101-धर्मार्थ प्रायोजनों के लिये दान-04-कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को अनुदान-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर-वेतन) में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 500.00 लाख (पांच करोड़ रू0 मात्र) निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय के निवर्तन पर रखते हुये वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध:-

(1) कैलाश मानसरोवर की यात्रा जाने वाले तीर्थ यात्रियों की वास्तविक संख्या की सूची शासन को उपलब्ध कराने के पश्चात् ही वास्तविक धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(2) बचत की मद में अतिरिक्त धनराशि की मॉग नहीं की जायेगी।

(3) पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राप्त धनराशि का व्यय इसी वित्तीय वर्ष में किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। पुनिर्विनियोग की जाने वाली धनराशि का उपयोग इसी वित्तीय वर्ष में न करने और उसके फलस्वरूप होने वाले ऑडिट आपत्ति हेतु आप उत्तरदायी होंगें।

(4) पुनर्विनियोग के माध्यम से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि का समर्पण किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(5) धनराशि का व्यय सुसंगत नियमों के अनुसार उसी प्रयोजन के लिये किया जायेगा, जिस प्रयोजन के लिये पुनर्विनियोग किया जा रहा है।

(6) यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि पुनर्विनियोग से बजट मैनुअल के प्रस्तर-150 एवं 151 में निर्दिष्टि प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

(7) कैलाश मानसरोवर यात्रा के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश सं0-11/2025/1035-57-1099/61/2025 दिनांक-13.06.2025 के प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) निदेशक, धर्मार्थ कार्यशासनादेश सं0-21-2025-2270-57-1099-30-2023 दिनांक-25.09.2025 में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबन्धों का अनुपालन किया जायेगा।

(9) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27-मार्च, 2025 एवं अन्य सुसंगत शासनादेशों में दिये गये निर्देशों का अनुपालन एवं उसके अनुसार भुगतान कराये जाने का दायित्व निदेशक, धर्मार्थ कार्य निदेशालय एवं वित्त नियंत्रक का होगा।

6- उक्त मानक मद में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि उपलब्ध करायी गयी है। पुनर्विनियोग आदेश सं0- RE-budget-1-157-E-5-98-X-2025-26 दिनाँक 01.12.2025 के माध्यम से स्वीकृत किया गया है। पुनर्विनियोग प्रपत्र बी०एम०-9 संलग्न है।

7- इस सम्बन्ध में होने वाले व्यय रूपये 5,00,00,000 (रूपये पांच करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20252026 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-084-लेखाशीर्षक-22500010104000 कैलाश

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

मानसरोवर की यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों को अनुदान मानक मद 20 सहायता अनुदान (गैर-वेतन) के नामे डाला जायेगा।

8- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक-27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकारी के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उ०प्र०, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उ०प्र०, लखनऊ/प्रयागराज।
(3) जिलाधिकारी , वाराणसी/लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, वाराणसी/लखनऊ।
(5) वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5।
(6) गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(लक्ष्मण राम)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।